सिक्किम विश्वविद्यालय के अधिनियम

सिक्किम विश्वविद्यालय

[भारत की संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय]

6 माइल, सामदुर, डाकघर – तादोंग, गंगटोक -737 102

सिक्किम

प्रोफेसर टी. बी. सुब्बा
कुलपति
Professor T. B. Subba
Vice-Chancellor

6th Mile, Samdur,Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251067, Telefax: 251067
Email : vc@cus.ac.in
Website: www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University

(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

प्राक्कथन

सिक्किम विश्वविद्यालय के वर्तमान अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों और विनियमों के संग्रह के लिए प्राक्कथन लिखना हर्ष का विषय है। अधिनियम और संविधियों पर विश्वविद्यालय का ऐसा पहला प्रकाशन दिनांक 30 जून 2012 तक के संशोधन के अनुसार था। गत: पाँच वर्षों के दौरान हमारे संविधियों और हमारे प्रथम अध्यादेशों पर बहुत कम संशोधन हुआ है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है और विश्वविद्यालय द्वारा अधिक से अधिक स्पष्टता, पारदर्शिता और कार्यों में सामंजस्यता लाने के लिए सात विनियमों को अनुमोदित किया गया है।

वर्ष 2012 से अब तक विश्वविद्यालय में बहुत सारे परिवर्तन भी आए हैं। विभागों, छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और किसी- किसी मामलों में चमत्कारी रूप से वृद्धि हुई है। न्यायालय को छोड़कर सभी सांविधिक निकायों का गठन किया गया है अथव पुनर्गठन किया गया है। हमारे अपनी संविधि और अध्यादेशों के अनुसार विभागों के अध्यक्ष अथवा प्रभारी और विद्यापीठों के डीन की नियुक्ति की गई है। अध्ययन बोर्ड, विद्यापीठ बोर्ड, महाविद्यालय विकास परिषद, शैक्षणिक परिषद और कार्यकारिणी परिषद आदि की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। किन्तु हम वित्त समिति की बैठक का आयोजन नियमित रूप से नहीं कर पा रहें है, इसका कारण है कि कभी-कभी गणपूर्ति पूरा नहीं होता है और कभी-कभी इस कारण से भी कि इस बैठक का आयोजन स्थल हमेशा दिल्ली रहा है न कि गंगटोक। वर्ष 2013-14 में पाठ्यक्रम का बड़ा संशोधन हुआ था और इस सेमेस्टर में भी एक और बड़ा संशोधन कार्य चल रहा है। विश्वविद्यालय परिसर की मास्टर प्लान तैयार हो चुकी है, सांविधिक अनुमति प्राप्त हो चुकी है और प्रशासनिक भवन, पुस्तकालय भवन और एक संकाय खंड का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है। विश्वविद्यालय ने छात्र संघ, शिक्षक संघ और गैर-शिक्षण संघ को मान्यता दी है। हमारा पुस्तकालय देश के उत्कृष्ट पुस्तकालयों में से एक है। हमारे सभी भवन वाईफाई युक्त है और हमारी वित्तीय लेन-देन सम्पूर्ण रूप से डिजिटेल है। हम परिसर ईआरपी के कार्यान्वयन की दिशा में भी अग्रसर है।

किसी भी विश्वविद्यालय के अधिनियम, अध्यादेश और विनियम स्थिर नहीं हो सकता है और विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है, समय के साथ बदल रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास विभाग के निर्देशों को पालन कर रहा है और इसके साथ-साथ सभी हितधारकों के लिए अधिक समावेशी, पारदर्शी बनने के लिए इच्छुक है। चूंकि, बार-बार हो रहे परिवर्तन पर नजर रखने के लिए अक्सर हितधारक सक्षम नहीं होते हैं, अत: लगातार बार-बार परिवर्तन वांछनीय नहीं है। यह भी वांछनीय नहीं है कि वर्तमान अधिनियम, संविधि, अध्यादेश और विनियम केवल हमारे वैबसाइट पर सॉफ्ट कॉपी में रहें, बल्कि ये हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध होना चाहिए ताकि कोई अगर अन्य संबन्धित अध्यादेशों के साथ एक अध्यादेश पढ़ना चाहा तो आसानी से उपलब्ध हो।

मैं इसके संकलित, प्रारूपित, संपादित और हिन्दी में अनुवादित रूप में प्राप्त कराने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों के आभारी हूँ : श्री टी. के.कौल, श्री सी.बी. छेत्री, श्री सत्यम राणा, श्री शैलेश शुक्ला और सुश्री युतिका गोस्वामी। मैं आशा करता हूँ कि संबन्धित सभी के लिए यह एक मूल्यवान दस्तावेज़ होगा।

टी.बी.सुब्बा
कुलपति
21/2/18

सूची

विषय-सूची		पृष्ठ संख्या
सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम		
धारा		
1.	संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	1
2.	परिभाषाएँ	1
3.	विश्वविद्यालय की स्थापना	2
4.	विश्वविद्यालय के उद्देश्य	2
5.	विश्वविद्यालय की शक्तियाँ	3
6.	अधिकार क्षेत्र	5
7.	विश्वविद्यालय सभी वर्गों, जातियों और नस्लों के लिए	5
8.	विजिटर	5
9.	चीफ रेक्टर	7
10.	विश्वविद्यालय के अधिकारी	7
11.	चांसलर	7
12.	कुलपति	7
13.	उपकुलपति	8
14.	विद्यापीठों के डीन	8
15.	कुलसचिव	8
16.	वित्त अधिकारी	8
17.	परीक्षा नियंत्रक	8
18.	पुस्तकालयाध्यक्ष	8
19.	अन्य अधिकारी	8
20.	विश्वविद्यालय के प्राधिकरण	9
21.	न्यायालय	9
22.	कार्यकारिणी परिषद	9
23.	शैक्षणिक परिषद	9
24.	महाविद्यालय विकास परिषद	10
25.	अध्ययन बोर्ड	10
26.	वित्त समिति	10
27.	विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण	10
28.	विधि बनाने की शक्ति	10
29.	विधियाँ कैसे बनाई जाएँ	11
30.	अध्यादेश बनाने की शक्ति	12
31.	विनियम	13
32.	वार्षिक रिपोर्ट	13
33.	वार्षिक लेखा	13
34.	रिटर्न्स और सूचना	14
35.	कर्मचरियों की सेवा की शर्तें	14
36.	छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामलों में अपील का तरीका और मध्यस्थता	14
37.	अपील का अधिकार	15
38.	भविष्य निधि और पेंशन निधि	15
39.	प्राधिकरणों और निकायों के गठन में विवाद	15
40.	आकस्मिक रिक्तियों को भरना	15
41.	रिक्तियों के कारण प्राधिकरणों और निकायों की कार्यावधि अमान्य नहीं	15
42.	सद्भाव में की गई कार्यावधि का संरक्षण	15
43.	विश्वविद्यालय रिकॉर्ड के प्रमाण का तरीका	15
44.	कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति	16
45.	विधियों, अध्यादेशों, विनियमों का सरकारी गज़ट में प्रकाशन और संसद में रखा जाना	16
46.	संक्रमणकालीन प्रावधान	17

सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम 2006

(संख्या 10, 2007)

[10 जनवरी 2007]

सिक्किम में एक शैक्षिक एवं संबद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना एवं शामिल करने हेतु तथा उससे संबन्धित विषय या आनुसंगिक कारणों हेतु एक अधिनियम है.

यह संसद द्वारा जनतंत्र के सतावंवें वर्ष में निम्नलिखित तौर पर अधिनियमित है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के नाम से जाना जाएगा.

(2) यह केन्द्र सरकार के आधिकारिक राजपत्र पर अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा.

परिभाषाएं

2. संदर्भ अन्यथा आवश्यक होने तक इस अधिनियम में और सभी विधियाँ नीचे दिये गए हैं :-

(क) शैक्षणिक परिषद यानि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद.

(ख) शैक्षणिक कर्मचारी यानि कर्मचारियों का वह वर्ग जो अध्यादेश द्वारा शैक्षणिक कर्मचारी के रूप में नामित हैं.

(ग) संबद्ध महाविद्यालय यानि वह महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के अंतर्गत है.

(घ) "अध्ययन बोर्ड" यानि विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड.

(ङ) चांसलर, कुलपति एवं उपकुलपति यानि क्रमशः विश्वविद्यालय के चांसलर, कुलपति एवं सम- कुलपति हैं.

(च) महाविद्यालय विकास परिषद यानि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालय.

(छ) सांविधिक महाविद्यालय यानि विश्वविद्यालय चलाए जाने वाले महाविद्यालय.

(ज) न्यायालय यानि विश्वविद्यालय के न्यायालय.

(झ) विभाग यानि अध्ययन विभाग और जिसमें एक अध्ययन केंद्र शामिल है.

(ञ) दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था यानि किसी भी प्रकार के संचार- साधन जैसे ब्रोडकास्टिंग, टेलिकास्टिंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, संगोष्ठियाँ, संपर्क कार्यक्रम अथवा ऐसे किसी दो या अधिक साधनों का मिश्रण के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना.

(ट) कर्मचारी यानि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति जिसमें शिक्षक एवं विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारी शामिल हैं।

(ठ) कार्यकारिणी परिषद यानि विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद.

(ड) हॉल यानि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या किसी संस्थान के छात्रों हेतु निवास या कॉर्पोरेट जीवन हेतु एक इकाई जो कि विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाता है.

(ढ) "संस्थान" यानि विश्वविद्यालय की देखरेख में या विशेषाधिकार में शामिल एक शैक्षणिक संस्थान, जो महाविद्यालय नहीं है.

(ण) अध्यक्ष यानि विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या किसी संस्थान के प्रमुख है और जहां अध्यक्ष नहीं है, वहाँ किसी व्यक्ति को कुछ समय हेतु विधिवर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है और अध्यक्ष अथवा कार्यकारिणी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को इसहेतु विधिवत नियुक्त किया जाता है.

(त) मान्यता प्राप्त शिक्षक यानि ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के अंतर्गत शामिल किसी महाविद्यालय या किसी संस्थान को शिक्षणप्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है.

(थ) "विनियम" यानि समय की मांग के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा बनाये गए विनियम.

(द) विद्यापीठ यानि विश्वविद्यालय के अध्ययन विद्यापीठ.

(ध) विधि एवं अध्यादेश यानि क्रमश: समय की मांग के अनुसार लागू किए जाने वाले विश्वविद्यालय के विधि एवं अध्यादेश.

(न) विश्वविद्यालय के शिक्षक यानि प्रोफेसर, रीडर, व्याख्याता और विश्वविद्यालय में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाने वाले किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान में पढ़ाने तथा शोध कार्य के आयोजन करने हेतु नियुक्त किए जाने वाले ऐसे व्यक्ति और अध्यादेशों द्वारा शिक्षक के रूप में नामित शिक्षक.

(ऩ) 'विश्वविद्यालय यानि सिक्किम विश्वविद्यालय जो इस अधिनयम के तहत एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित एवं सम्मिलित है.

विश्वविद्यालय की स्थापना

3 (1) सिक्किम राज्य में सिक्किम विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी.

(2) विश्वविद्यालय के मुख्यालय गंगटोक में होगा.

(3) प्रथम चांसलर, प्रथम कुलपति एवं न्यायालय, कार्यकारिणी परिषद एवं शैक्षणिक परिषद के प्रथम सदस्यगण एवं सभी व्यक्ति जो बाद में ऐसे अधिकारी एवं सदस्य बनेंगे, जितने लम्बे समय तक वे इस तरह के पदभार और सदस्यता जारी रखते हैं, एतद्वारा उनके द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय नाम से एक निगमित निकाय बनाया जाता है.

(4) विश्वविद्यालय के पास सतत उत्तराधिकार एवं एक सामान्य मोहर होगी और कहे गए नाम से मुकदमा किया जाएगा.

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

4. विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षा के ऐसे खंड में उचित समझे जाने पर प्रचार-प्रसार एवं उच्च ज्ञान प्रदान करने हेतु गठनात्मक एवं शोध सुविधाएँ उपलब्ध कराना है; विश्वविद्यालय के शिक्षण पाठ्यक्रम में मानविकी, प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान, वन एवं अन्य अंतर्विषयों

को एकत्रित करने हेतु प्रावधान बनाना; शिक्षण-पठन प्रक्रिया, अंतर्विषयक अध्ययन एवं शोध में नवीनता लाने हेतु उपयुक्त उपाय अपनाना; सिक्किम राज्य में जनशक्ति के विकास हेतु शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना; और सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा राज्य की जनता के कल्याण हेतु उनके बौद्धिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु विशेष ध्यान देना.

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

5. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, जैसे :

(i) ऐसे शिक्षा शाखाओं में शिक्षण प्रदान करना और समय-समय पर शोध की उन्नति एवं ज्ञान के प्रसार हेतु प्रावधान करना.

(ii) विश्वविद्यालय कतिपय शर्तो के आधार पर विश्वविद्यालय परीक्षा, मूल्यांकन अथवा वैयक्तिक रूप से परीक्षण की अन्य किसी प्रक्रिया के आधार पर डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और डिग्री अथवा अन्य शैक्षणिक विशेष योग्यता प्रदान करने हेतु निर्धारण कर सकता है तथा ऐसा कोई भी डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, डिग्री या अन्य शैक्षणिक विशिष्टता अच्छे एवं उपयुक्त कारणों हेतु रद्द कर सकता है.

(iii) बाह्य अध्ययन, प्रशिक्षण एवं सेवा प्रसार का आयोजन एवं प्रारम्भ करना.

(iv) विधि द्वारा निर्धारित मानद डिग्री या अन्य विशेष योग्यता प्रदान करना.

(v) दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें इसहेतु निर्धारित किया जाए, सुविधा प्रदान करना.

(vi) विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार प्राचार्य, प्राध्यापक, रीडर, व्याख्याता एवं अन्य शैक्षिक या शैक्षणिक पदों का सृजन करना तथा प्राचार्य, प्राध्यापक, रीडर, प्रवक्ता या अन्य शैक्षिक या शैक्षणिक पदों के लिया व्यक्तियों को नियुक्ति देना.

(vii) विश्वविद्यालय ऐसे उद्देश्य से उच्च शिक्षा की किसी संस्थान को मान्यता देना निर्धारण कर सकता है अथवा ऐसी मान्यता को रद्द कर सकता है.

(viii) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के अंतर्गत आने वाले किसी महाविद्यालय या संस्थान में शिक्षण प्रदान करने हेतु व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करना.

(ix) किसी अन्य विश्वविद्यालय में या शैक्षिक संस्थान में कार्यरत किसी व्यक्ति को विशेष समयावधि हेतु विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त करना.

(x) प्रशासनिक, अनुसचिवीय एवं अन्य पदों का सृजन एवं उनहेतु नियुक्ति करना.

(xi) किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या उच्च शिक्षा के ऐसे संस्थानों के साथ कुछ इस तरह से सहयोग, सहायता प्रदना करना जैसा कि विश्वविद्यालय ऐसे उद्देश्य हेतु निर्धारित करे.

(xii) केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के अनुसार इसके भविष्य के उद्देश्य हेतु आवश्यकता के अनुसार ऐसे केंद्र एवं विशिष्ट प्रयोगशालाएं अथवा शोध हेतु अन्य इकाइयों की स्थापना करना.

(xiii) अध्येता वृत्ति, छात्र वृत्ति, मेडल्स एवं पुरस्कार प्रारम्भ करना एवं प्रदान करना.

(xiv) महाविद्यालय, संस्थान एवं हॉल की स्थापना एवं रख-रखाव करना.

(xv) शोध एवं सलाहकार सेवा से संबन्धित प्रावधान बनाना तथा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाने पर इसी उद्देश्य से अन्य संस्थानों, औद्योगिक या अन्य संगठनों की ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना.

(xvi) शिक्षकों, मूल्यांककों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियो के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशाला, संगोष्ठी एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना.

(xvii) विधि द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार सिक्किम के महाविद्यालयों एवं संस्थानों को इसके विशेषाधिकार के अंतर्गत शामिल करना, उन सभी या किसी विशेषाधिकार को वापस लेना; विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाए जा रहे हॉल तथा छात्रों हेतु अन्य ठहरने की व्यवस्था को मान्यता देना, मार्गदर्शन देना, देख-रेख करना, नियंत्रण करना और ऐसी मान्यताओं को वापस लेना.

(xviii) अनुबंध के आधार पर या अन्य प्रक्रिया से विजिटिंग प्राध्यापकों, अवकाश प्राप्त प्राध्यापकों, परामर्शदाताओं, स्कॉलरों एवं ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना, जो विश्वविद्यालय की उन्नति के उद्देश्य में योगदान दे सकें.

(xix) विधि के अनुसार महाविद्यालय या किसी संस्थान या एक विभाग, जैसा भी मामला हो, को स्वायत्तता प्रदान करना.

(xx) विश्वविद्यालय में प्रवेश के मानकों का निर्धारण करना, जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन अथवा परीक्षण की अन्य प्रक्रियाएँ शामिल हो सकती हैं;

(xxi) फीस एवं अन्य शुल्कों की मांग करना एवं भुगतान प्राप्त करना;

(xxii) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास का निरीक्षण करना और उनके स्वास्थ्य एवं सामान्यकल्याण हेतु व्यवस्था को बढ़ावा देना;

(xxiii) कर्मचारियों के सभी वर्गों की आचरण संहिता सहित सेवा की शर्तें निर्धारित करना;

(xxiv) छात्रों एवं कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित एवं लागू करना एवं उसहेतु इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाने पर इस तरह के कुछ अनुशासनमूलक उपाय अपनाना;

(xxv) कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने हेतु व्यवस्था करना;

(xxvi) चंदा, दान एवं भेंट प्राप्त करना और अधिग्रहण करना, रख-रखाव करना एवं देख-रेख करना, साथ ही केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय हेतु न्यास एवं दान से प्राप्त संपत्ति जैसे किसी भी चल अथवा अचल सम्पत्तियों का निपटान करना.

(xxvii) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों की सुरक्षा पर विश्वविद्यालय हेतु ऋण लेना.

(xxviii) आवश्यकता के अनुसार इसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु आकस्मिक एवं अनुकूल, ऐसे सभीकार्य करना;

अधिकार क्षेत्र

6. (1) विश्वविद्यालय का अधिकार-क्षेत्र पूरे राज्य में विस्तारित होगा.

(2) यद्यपि इस समय हेतु किसी अन्य कानून लागू होते हुए, सिक्किम में कोई भी शैक्षिक संस्थान भारत के कानून द्वारा बने किसी विश्वविद्यालय से किसी भी तरीके से अथवा किसी भी विशेषाधिकार में संबद्ध नहीं होगा और इस अधिनियम की घोषणा से पूर्व सिक्किम में ऐसे किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा किसी शैक्षिक संस्थान को यदि ऐसा कोई विशेषाधिकार प्रदान किया गया, तो उसे इस अधिनियम की घोषणा से वापस लिया जाना समझा जाए.

परन्तु केन्द्र सरकार लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि इस उप-धारा के प्रावधान में विनिर्दिष्ट आदेश किसी शैक्षिक संस्थान के संदर्भ में लागू नहीं होगा.

विश्वविद्यालय सभी वर्गों, जातियों और नस्लों के लिए

7. विश्वविद्यालय सभी लिंग के व्यक्तियों, उनकी जो भी जाति, धर्म, वर्ग या श्रेणी हो, हेतु खोला जाएगा और किसी व्यक्ति को कुछ अपनाना या उस पर थोपना तथा किसी को शिक्षक के रूप में नियुक्त करने हेतु हकदार बनने हेतु अथवा वहाँ पर किसी अन्य पद धारण करने अथवा विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश करने अथवा यहाँ से स्नातक होने अथवा उसमें किसी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त करने अथवा उसका प्रयोग करने हेतु किसी प्रकार के धार्मिक विश्वास अथवा पेशे के आधार परीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा.

परन्तु इस धारा का कोई भी अंश विश्वविद्यालय को समाज के निर्बल वर्ग की महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के प्रवेश एवं नियुक्ति हेतु विशेष प्रावधान करने में बाधा नहीं होगा.

विजिटर

8. (1) भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के विजिटर होंगे.

(2) विजिटर समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों अथवा संस्थानों सहित विश्वविद्यालय के कार्य एवं प्रगति की समीक्षा करने तथा उसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक या अधिक व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं. रिपोर्ट प्राप्त करने पर विजिटर कुलपति के माध्यम से कार्यकारिणी परिषद की राय लेने के बाद इस दिशा में कार्रवाई कर सकते हैं तथा उनके द्वारा आवश्यक समझे जाने पर इस रिपोर्ट से संबन्धित किसी विषय पर निर्देश दे सकते हैं और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का पालन करने हेतु बाध्य होगा.

(3) विजिटर को विश्वविद्यालय के ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जिसे भी वे निर्देश देते है, विश्वविद्यालय के भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं एवं उसके उपकरणों और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या इसके विशेषाधिकार में प्रविष्ट महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एवं क्रियान्वित परीक्षा, मूल्यांकन, और अन्य कार्यों का भी निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा. इसी प्रकार विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्थान के प्रशासनिक या वित्त संबन्धित किसी भी विषय की जांच करवाने का अधिकार होगा.

(4) विजिटर उप-धारा (3) के संदर्भित प्रत्येक मामले में अपने इच्छानुसार निरीक्षण या जांच करवाने की सूचना देंगे-

(क) विश्वविद्यालय को, यदि विश्वविद्यालय या इसके द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान का निरीक्षण या जांच कराई जानी हो, अथवा

(ख) महाविद्यालय या संस्थान के प्रबंधन को, यदि विश्वविद्यालय के विधेषाधिकार के अंतर्गत महाविद्यालय या संस्थान का निरीक्षण या जांच कराई जानी हो, और विश्वविद्यालय अथवा प्रबंधन को, जैसा भी मामला हो, आवश्यक समझे जाने पर विजिटर के समक्ष इस तरह के अभ्यावेदन देने का अधिकार होगा.

(5) विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो तो, पर विचार करने के बाद विजिटर उप-धारा (3) में दिये गए के अनुसार ऐसे निरीक्षण या जांच करवा सकते हैं.

(6) विजिटर द्वारा जहां कोई निरीक्षण या जांच की जानी हो वहाँ विश्वविद्यालय या प्रबंधन को एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक होगा, जिसे निरीक्षण या जांच के दौरान उपस्थित रहने तथा तथा अपनी बात रखने का अधिकार होगा.

(7) यदि निरीक्षण या जांच विश्वविद्यालय या इसके द्वारा अनुरक्षित किसी भी महाविद्यालय या संस्थान से संबन्धित हो, विजिटर ऐसे निरीक्षण के परिणाम के संदर्भ के साथ-साथ इस विषय पर की जाने वाली कार्रवाई हेतु, अपनी राय और सुझाव सहित कुलपति को संबोधित कर सकते हैं. विजिटर का सम्बोधन प्राप्त होने के बाद कुलपति इस संबंध में कार्रवाई किए जाने के विषय पर विजिटर द्वारा दी गई राय एवं सुझावों को कार्यक्ररिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे.

(8) यदि निरीक्षण किसी महाविद्यालय या संस्थान के संबंध में हो, जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है, विजिटर कुलपति के माध्यम से ऐसे निरीक्षण अथवा जांच के परिणाम के संदर्भ में अपनी राय और इस विषय पर की जानेवाली कार्रवाई हेतु उनके सुझाव के साथ संबन्धित प्रबंधन को संबोधित कर सकते हैं.

(9) कार्यकारिणी परिषद अथवा प्रबंधन, जैसा भी मामला हो , ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में लिए जाने वाले अथवा लिए गए प्रस्ताव, के बारे में, यदि कोई हो, कुलपति के माध्यम से विजिटर को सूचित करेगी.

(10) जहां कार्यकारिणी परिषद अथवा प्रबंधन एक निर्धारित अवधि के दौरान विजिटर के संतोष लायक कारवाई नहीं करते, वहाँ विजिटर कार्यकरिणी परिषद अथवा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किसी स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात कुछ ऐसे दिशा-निर्देश, जिन्हें वे उचित समझे, जारी कर सकते है और कार्यकारिणी परिषद अथवा प्रबंधन, जैसा भी मामला हो, उनका पालन करने हेतु बाध्य होगा.

(11) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विजिटर लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी भी कार्यवाही को रद्द कर सकते हैं, जो अधिनियम, विधि अथवा अध्यादेशों के अनुरूप नहीं है.

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश देने से पहले वे कुलसचिव को इस प्रकार का आदेश क्यूँ नहीं दिया जाना चाहिए, उसका कारण प्रस्तुत करने हेतु कहेंगे और यदि कोई भी कारण, उचित समय पर, प्रस्तुत किया जाता है, तो वे इस पर विचार करेंगे.

(12) विजिटर के पास ऐसी अन्य शक्तियों भी होंगी जो कि विधि द्वारा निर्धारित की जाए.

चीफ रेक्टर

9. सिक्किम राज्य के राज्यपाल विश्वविद्यालय के चीफ़ रेक्टर होंगे.

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

1) चांसलर;

2) कुलपति;

3) उप कुलपति;

4) विद्यापीठों के डीन;

5) कुलसचिव;

6) वित्त अधिकारी;

7) परीक्षा नियंत्रक;

8) पुस्तकालयाध्यक्ष; और

9) ऐसे अन्य अधिकारी जिसे विधि द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में घोषित किया जा सकता है.

चांसलर

11. (1) चान्सलर को विजिटर द्वारा इस प्रकार से नियुक्त किया जाएगा जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित हो.

(2) चान्सलर अपने कार्यालय के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे और तथा यदि उपस्थित रहते हैं, तो वे डिग्री प्रदान करने हेतु आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह तथा न्यायालय की बैठक की अध्यक्षता करेंगे.

कुलपति

12. (1) कुलपति को विजिटर द्वारा इस प्रकार से नियुक्त किया जाएगा जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित किया जाए.

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी प्रमुख एवं शैक्षणिक अधिकारी होंगे तथा वे विश्वविद्यालय के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेंगे एवं विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के निर्णयों पर प्रभाव डालेंगे.

(3) कुलपति को यदि किसी भी विषय पर शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता महसूस हो, तो वे इस अधिनियम के अधीन या अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं तथा ऐसे प्राधिकारी को इस तरह के विषय पर उनके द्वारा ली गई कार्रवाई की सूचना अगली बैठक में देंगे.

परन्तु यदि संबन्धित प्राधिकारी को लगे कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए तो मामले को विजिटर के अवलोकनार्थ भेजा जा सकता है, उस पर उनका निर्णय अंतिम होगा.

परन्तु विश्वविद्यालय में सेवारत किसी व्यक्ति, जो कुलपति द्वारा की गई कारवाई से व्यथित हो, उसे इस उपधारा के अंतर्गत ऐसी कारवाई के विरुद्ध कार्यकारिणी परिषद को इस विषय पर किए गए कारवाई का निर्णय भेजने की तिथि से तीन महीने के भीतर अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा और उसके आधार पर कार्यकारिणी परिषद कुलपति द्वारा की गई कारवाई की पुष्टि, संशोधन या परिवर्तन कर सकती है.

(4) यदि कुलपति को लगे कि विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी का, कोई भी निर्णय, इस अधिनियम, विधि अथवा अध्यादेश में प्रदत्त शक्तियों से परे हो अथवा किसी भी लिए गए निर्णय, जो विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो कुलपति संबन्धित प्राधिकारी से ऐसे निर्णयों को साठ दिन के अंदर समीक्षा करने हेतु कह सकते हैं और यदि प्राधिकारी निर्णयों को पूरी तरह से अथवा किसी भी अंश की समीक्षा करने हेतु इंकार करता है अथवा साठ दिन की उक्त अवधि के दौरान कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो मामले को विजिटर के समक्ष अवलोकनार्थ भेजा जाएगा और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा.

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं जैसा कि विधि अथवा अध्यादेश में निर्धारित हो.

उपकुलपति

13. उपकुलपति की नियुक्ति इस प्रकार सेवा शर्तों पर की जाएगी और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसे कि विधि में निर्धारित हो.

विद्यापीठों के डीन

14. विद्यापीठों के डीन की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसे कि विधि में निर्धारित हो.

कुलसचिव

15. (1) कुलसचिव की नियुक्ति इस प्रकार एवं ऐसी सेवा शर्तों पर की जाएगी जैसे कि विधि में निर्धारित हो.

(2) कुलसचिव के पास विश्वविद्यालय की ओर से करार में प्रवेश, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और अभिलेखों को सत्यापित करने की शक्तियां है तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसा कि विधि में निर्धारित हो.

वित्त अधिकारी

16. वित्त अधिकारी को इस प्रकार नियुक्ति दी जाएगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसे कि विधि में निर्धारित हो.

परीक्षा नियंत्रक

17. परीक्षा नियंत्रक को इस प्रकार और ऐसी सेवा शर्तों पर नियुक्ति दी जाएगी और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसे कि विधि में निर्धारित हो.

पुस्तकलायाध्यक्ष

18. पुस्तकालयाध्यक्ष को इस प्रकार और ऐसे सेवा शर्तों पर नियुक्ति दी जाएगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसे कि विधि में निर्धारित हो.

अन्य अधिकारियों

19. विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया और शक्तियों एवं कर्तव्यों विधि द्वारा निर्धारित किए जाएंगे.

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

20. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे :

1. न्यायालय;
2. कार्यकारिणी परिषद;
3. शैक्षणिक परिषद;
4. महाविद्यालय विकास परिषद;
5. अध्ययन बोर्ड;
6. वित्त समिति एवं
7. ऐसे अन्य प्राधिकरण को जो विधि द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में घोषित किए जाए.

न्यायालय

21. (1) न्यायालय के गठन एवं सदस्यों के कार्यो के शर्ते विधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा. परन्तु ऐसे सदस्यों की संख्या जो कि विधि में निर्धारित हो, विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थियों में से चयनित होंगे.

(2) इस अधिनियम के प्रावधान के तहत न्यायालय की शक्तियाँ एवं कार्य निम्नलिखित होंगे:

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीति एवं कार्यक्रम की समय समय पर समीक्षा करना एवं विश्वविद्यालय की प्रगति एवं विकास हेतु उपायों के बारें में सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखा तथा ऐसे लेखे की लेखा परीक्षा पर विचार करना एवं प्रस्ताव पारित करना;

(ग) विजिटर को किसी मामले के संदर्भ में सुझाव देना जिसे सलाह हेतु कहा गया हो; तथा

(घ) ऐसे अन्य कार्य का निष्पादन करना जो कि विधि में निर्धारित हो.

कार्यकारिणी परिषद

22. (1) कार्यकारिणी परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारिणी निकाय होगा.

(2) कार्यकारिणी परिषद का गठन, इसके सदस्यों का कार्यकाल में एवं इसकी शक्तियों एवं कार्य को विधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा.

परन्तु ऐसे सदस्यों की संख्या जिसे विधि द्वारा निर्धारित किया जाना है, न्यायालय के चयनित सदस्यों में से होंगे.

शैक्षणिक परिषद

23. (1) शैक्षणिक परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस अधिनियम, विधि एवं अध्यादेशों के प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का संयोजन एवं सामान्य पर्यवेक्षण करेगी.

(2) शैक्षणिक परिषद का गठन, इसके सदस्यों का कार्यकाल एवं इसकी शक्तियों एवं कार्य को विधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा.

बशर्ते कि, ऐसे सदस्यों की संख्या जिसे विधि द्वारा निर्धारित किया जाना है, न्यायालय के चयनित सदस्यों में से होगी, जो विश्वविद्यालय के शिक्षक है.

महाविद्यालय विकास परिषद

24. (1) महाविद्यालय विकास परिषद महाविद्यालयों का विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में प्रवेश कराने हेतु उत्तरदायी होगी.

(2) महाविद्यालय विकास परिषद का गठन, इसके सदस्यों का कार्यकाल तथा इसकी शक्तियों एवं कार्य को विधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा.

अध्ययन बोर्ड

25. अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियाँ एवं कार्य विधि द्वारा निर्धारित होगा.

वित्त समिति

26. वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ एवं कार्य विधि द्वारा निर्धारित होगा.

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण

27. अन्य प्राधिकरणों, जिन्हें विधि द्वारा प्राधिकारणों के रूप में घोषित किया जाए, का गठन, शक्तियाँ एवं कार्य, विधि द्वारा निर्धारित होगा.

विधि बनाने की शक्ति

28. इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधि निम्नलिखित मामलों में से सभी अथवा किसी एक मामले हेतु प्रावधान कर सकते हैं :-

(क) समय-समय पर गठित किए जाने वाले विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारणों एवं अन्य निकायों का गठन, शक्तियाँ एवं कार्य;

(ख) उक्त प्राधिकरणों एवं इकाइयों के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यालय में निरंतरता, सदस्यों के रिक्त पदों की भर्ती एवं उन प्राधिकरणों तथा इकाइयों से संबन्धित अन्य सभी विषय जिसहेतु प्रावधान करना अनिवार्य या वांछनीय हो स कता है;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ एवं कर्तव्य तथा उनकी परिलब्धियाँ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारी एवं अन्य कर्मचिरियों की नियुक्ति, उनकी परिलब्धियाँ एवं सेवा की शर्तें;

(ङ) व्यक्तियों को मान्यताप्राप्त शिक्षकों के रूप में मान्यता देना;

(च) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्थान में कार्यरत शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारियों को संयुक्त परियोजना उपक्रम हेतु विशेष अवधि हेतु नियुक्त करना;

(छ) पेंशन, बीमा, भविष्य निधि, सेवा की रद्द की प्रक्रिया एवं अनुशासनिक कार्रवाई सहित कर्मचारियों की सेवा शर्तें;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा की वरिष्ठता की नीति;

(झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारी एवं विद्यार्थियों के बीच हुए विवादों के मामले में मध्यस्थता की प्रक्रिया;

(ञ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध किसी कर्मचारी या विद्यार्थी द्वारा कार्यकारिणी परिषद में अपील करने की प्रक्रिया;

(ट) किसी महाविद्यालय या किसी संस्थान या किसी विभाग को स्वायत्तता प्रदान;

(ठ) विद्यापीठों, विभागो, केंद्र, गृह, महाविद्यालय एवं संस्थान की स्थापना एवं उन्मूलन;

(ड) मानद डिग्री प्रदान करना;

(ढ) डिग्री, डिप्लोमा,प्रमाण-पत्र एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टता को वापस लेना;

(ण) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में महाविद्यालयों के प्रवेश और ऐसे विशेषाधिकार वापस लेने हेतु शर्तें;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालय एवं संस्थानों का प्रबंधन;

(थ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या अधिकारियों में निहित शक्तियों का सौंपा जाना;

(द) कर्मचारी एवं विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखना;

(ध) अन्य सभी विषय जो अधिनियम द्वारा विधि द्वारा प्रावधान के लिए दिया जाने हो अथवा दिए जाएँ.

विधियाँ कैसे बनाई जाएँ

29. (1) पहली विधियां वही हैं जो अनुसूची में निर्धारित हैं.

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विधियाँ कार्यकारिणी परिषद समय समय पर नए या अतिरिक्त विधि बना सकती है अथवा संशोधन या भंग कर सकती है:

परन्तु कार्यकारिणी परिषद विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण की प्रतिष्ठा, शक्तियों अथवा विधियों को प्रभावित करनेवाले किसी भी प्रकार के कानून का प्रणयन, संशोधन या भंग तब तक नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन पर लिखित तौर पर राय व्यक्त करने के लिए अवसर न दिया गया हो और अभिव्यक्त किसी भी राय पर कार्यकारिणी परिषद द्वारा विचार किया जाएगा.

(3) प्रत्येक नई विधि अथवा विधि में जोड़ना या किसी प्रकार के संशोधन अथवा किसी विधि को निरस्त करने हेतु विजिटर की अनुमति की आवश्यकता होगी जो उस हेतु अनुमति दे सकते हैं या स्वीकृति रद्द कर सकते हैं अथवा कार्यकारिणी परिषद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं.

(4) एक नई विधि या संशोधन की जा रही विधि अथवा मौजूद विधि को निरस्त करने की, तब तक कोई वैधता नहीं होगी, जब तक विजिटर की अनुमति न हो.

(5) हालांकि पूर्वगामी उप-धारा में कुछ भी होने के बावजूद, विजिटर उप धार-1 के तहत इस अधिनियम की घोषणा के तुरंत बाद तीन महीने के दौरान नई अथवा अतिरिक्त विधि का सृजन या संशोधन या भंग कर सकते हैं.

परन्तु विजिटर तीन साल की कथित अवधि की समाप्ति पर समाप्ति तिथि के एक साल के अंदर ऐसी विस्तृत विधि बना सकते है, जैसी कि वे आवश्यक समझें और ऐसी विस्तृत विधियों को संसद के दोनों सदनों में रखा जाए.

(6) पूर्ववर्ती उप धारा में कुछ भी निहित होने के बावजूद, विजिटर विश्वविद्यालय को उनके द्वारा निर्दिष्ट किसी भी विषय के संबंध में विधि में प्रावधान बनाने हेतु निर्देश दे सकते हैं और यदि कार्यकारिणी परिषद इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर

कार्यान्वित करने में असमर्थ हो, तो विजिटर कार्यकारिणी परिषद की तरफ से ऐसे निर्देशों को पालन करने में असमर्थता हेतु प्राप्त कारणों पर विचार करते हुए, यदि कोई हो, तो विजिटर विधि का सृजन अथवा अनुरूप संशोधन कर सकते हैं.

अध्यादेश बनाने की शक्ति

30. (1) इस अधिनियम और विधि के प्रावधानों के संदर्भ में अध्यादेश निम्नलिखित मामलों के सभी अथवा किसी एक मामले हेतु प्रावधान करेगा :-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश एवं उनके नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय के सभी डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र हेतु अध्ययन पाठ्यक्रमों का निर्धारण;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र एवं अन्य शैक्षणिक विशेष योग्यता सम्मान एवं इन सबहेतु योग्यता तथा इन सबको प्रदान करने हेतु साधन की खोज करना एवं उसकी प्राप्ति;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रम हेतु एवं परीक्षा, उपाधि, डिप्लोमा आदि में प्रवेश हेतु शुल्क;

(च) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, मेडल एवं पुरस्कार आदि की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का आयोजन, परीक्षा निकायों, परीक्षकों और मॉडरेटर्स की कार्यावधि और नियक्ति का तरीका सहित.

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों की निवास की शर्तें.

(झ) महिला छात्रों हेतु आवास एवं इस हेतु विशेष पाठ्यक्रम का निर्धारण करने हेतु विशेष व्यवस्था, यदि कोई हो;

(ञ) अध्ययन केंद्र, अध्ययन निकाय, विशिष्ट प्रयोगशाला एवं अन्य समिति की स्थापना;

(ट) शैक्षिक निकायो या संस्थानों के साथ किसी प्रकार की लाभदायक गतिविधियों में शामिल न होते हुए अन्य विश्वविद्यालय, संस्थान एवं अन्य अभिकरणों के साथ सहयोग का तरीका निकालना;

(ठ) अन्य निकायों का सृजन, रचना एवं कार्य जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के विकास हेतु आवश्यक हो;

(ड) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, मेडल एवं पुरस्कार की स्थापना;

(ढ) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों एवं संस्थानों के प्रबंधन का पर्यवेक्षण;

(ण) कर्मचारियों की शिकायतों के निराकरण हेतु तंत्र की स्थापना; और

(त) अध्यादेश द्वारा प्रावधान न किए जाने वाले अन्य सभी मामले जो अधिनियम या विधि द्वारा प्रदान किए जाएँ.

(2) प्रथम अध्यादेश कुलपति द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाया जाएगा और बनाए गए अध्यादेशों को विधि में निर्धारित तरीके से किसी भी समय कार्यकारिणी परिषद द्वारा संशोधन, भंग या जोड़ा जा सकता है.

विनियम

31. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण अपने कार्य संचालन हेतु इस अधिनियम, विधि और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकते हैं और समिति, यदि कोई हो, विधि में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनके द्वारा नियुक्त की जाए, जिसका इस अधिनियम, विधि अथवा अध्यादेशों में प्रावधान नहीं है.

वार्षिक रिपोर्ट

32. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्यकारिणी परिषद के शिक्षणसे तैयार किया जाएगा, जिसमें अन्य विषय सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उठाए गए कदम भी शामिल होंगे तथा उस रिपोर्ट को विधि में निर्धारित की गई तिथि पर या उसके बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और न्यायालय अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगा.

(2) न्यायालय वार्षिक रिपोर्ट को अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो तो, सहित विजिटर की सेवा में प्रेषित करेगा.

(3) उप धारा (1) के अनुसार प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति केन्द्र सरकार को भी भेजी जाएगी और यथाशीघ्र उसे संसद के दोनों सदन में प्रस्तुत किया जाएगा.

वार्षिक लेखा

33. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा एवं तुलन-पत्र कार्यकारिणी परिषद के निर्देशन में तैयार की जाएगी तथा कम से कम प्रति वर्ष और अधिक से अधिक पंद्रह महीने के अंतराल पर एक बार भारत के महा लेखा परीक्षक एवं निरीक्षक अथवा इस हेतु प्राधिकृत किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लेखा परीक्षण किया जाएगा.

(2) लेखा परीक्षण रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की एक प्रति विजिटर को एवं केन्द्रीय सरकार को भी प्रेषित की जाएगी और उसे संसद के दोनों सदनों में जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाएगा.

(3) वार्षिक लेखा पर विजिटर के किसी भी टिपण्णी को न्यायालय के ध्यान में लाया जाएगा और न्यायालय की टिपण्णी, यदि कोई हो तो, के साथ कार्यकारिणी परिषद द्वारा विचार किए जाने पर विजिटर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

(4) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की एक प्रति विजिटर को जमा करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार को भी भेजी जाएगी और उसे संसद के दोनों सदनों में यथा शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा.

(5) लेखा परीक्षा किए गए वार्षिक लेखा रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत होने के बाद राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी.

रिटर्न्स और सूचना

34. विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार को अपनी संपत्ति एवं गतिविधियों से संबन्धित ऐसी रिटर्न अथवा अन्य जानकारी समय-समय पर केंद्र सरकार की मांग के आधार पर प्रस्तुत करेगा.

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

35. (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी को लिखित अनुबंध के तहत नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के पास रहेगा और जिसकी एक प्रति संबन्धित कर्मचारी को दी जाएगी.

(2) विश्वविद्यालय एवं कर्मचारियों के बीच अनुबंध को लेकर किसी प्रकार का विवाद होने पर कर्मचारी के निवेदन पर कार्यकारिणी परिषद द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबन्धित कर्मचारी द्वारा मनोनीत एक सदस्य और विजिटर द्वारा नियुक्त एक निर्णायक से गठित मध्यस्थता ट्रिब्यूनल को भेजी जाएगी.

(3) ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम निर्णय होगा और ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णीत विषयों के सदर्भ में किसी भी सिविल कोर्ट में कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा.

परन्तु कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 के तहत उपलब्ध न्यायिक उपचार का लाभ उठाने में इस उप-धारा द्वारा किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी.

(4) उप-धारा (2) के तहत कर्मचारी द्वारा किए गए प्रत्येक निवेदन को इस धारा के नियमों के आधार पर पंचाट को पंचाट के आशय एवं सुलह अधिनियम, 1996 (26, 1996) के अधीन प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा.

(5) ट्रिब्यूनल के कार्य संचालन की प्रक्रिया विधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा.

छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामलों में अपील का तरीका और मध्यस्थता

36. (1) यदि किसी परीक्षा हेतु किसी छात्र अथव प्रार्थी, जिसका नाम कुलपति के आदेश अथवा संकल्प, अनुशासनिक समिति अथवा परीक्षा समिति, मामला जो भी, द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया है, और जिसे एक वर्ष से अधिक समय हेतु विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने हेतु वंचित किया गया है, तो वह ऐसे आदेश अथवा संकल्प की प्रति प्राप्त करने की तिथि से दस दिन के अंदर कार्यकारिणी परिषद को अपील कर सकता है तथा कार्यकारिणी परिषद कुलपति अथवा समिति, जो भी मामला हो, के निर्णय की पुष्टि, संशोधन अथवा निर्णय को रिवर्स कर सकता है.

(2) किसी छात्र के खिलाफ विश्वविद्यालय द्वारा ली गई किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई से उत्पन्न कोई भी विवाद हेतु उक्त छात्र के अनुरोध पर मामला मध्यस्थता ट्रिब्यूनल को भेजा जाएगा और धारा 35 के उप-धारा (2), (3), (4), एवं (4) के प्रावधानों को इस उप-धारा के तहत बनाए गए संदर्भ हेतु यथासंभव लागू किया जाएगा.

अपील का अधिकार

37. विश्वविद्यालय के या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे या इसके विशेषाधिकारों में शामिल कॉलेज या संस्थान के हर कर्मचारी या छात्र, इस अधिनियम में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी, या किसी भी कॉलेज या किसी संस्थान, जैसा भी मामला हो, के प्राचार्य या प्रबंधन के निर्णय के विरुद्ध कार्यकारिणी परिषद में अपील करने का अधिकार होगा, उस पर कार्यकारिणी परिषद, जिस निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है, की पुष्टि, संशोधित या रद्द कर सकती है.

भविष्य और पेंशन निधि

38. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के कल्याण हेतु ऐसे भविष्य निधि या पेंशन फंड का गठन करेगा या ऐसी बीमा योजनाओं का प्रावधान करेगा जैसा कि यह उचित समझे और जो कि विधि द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत हो.

(2) जहाँ ऐसे भविष्य निधि या पेंशन फंड का इस तरह गठन किया गया है, केन्द्रीय सरकार, यह एक सरकारी भविष्य निधि है, घोषित कर सकती है कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के प्रावधान इस तरह के कोष हेतु लागू होंगे.

प्राधिकारणों और निकायों के गठन में विवाद

39. यदि कोई भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या अन्य निकाय के एक सदस्य के रूप में विधिवत निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या होने का हकदार है, इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठता है तो मामला विजिटर को भेजा जाएगा जिसका उस मामले पर निर्णय अंतिम होगा.

आकस्मिक रिक्तियों को भरना

40. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों के अलावा अन्य) की आकस्मिक रिक्तियों को नियुक्त करने, चुनने वाले व्यक्ति द्वारा जल्द से जल्द भरा जाएगा, आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या व्यक्ति उस शेष कार्यावधि के लिए ऐसे प्राधिकरण का सदस्य रहेगा जब तक कि वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर उसे रखा गया है, सदस्य रहता.

रिक्तियों के कारण प्राधिकारणों और निकायों की कार्यवाही अमान्य नहीं

41. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाही केवल इसके सदस्यों में रिक्ति या रिक्तियों के अस्तित्व के कारण अमान्य नहीं होगी.

अच्छे विश्वास में की गई कार्यवाही का संरक्षण

42. इस अधिनियम, विधियों या अध्यादेश के प्रावधानों में से किसी के अनुसरण में, अच्छे विश्वास से, किया गया या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या किसी अन्य कर्मचारी के खिलाफ कोई क़ानूनी कार्यवाही या मुकदमा नहीं किया जाएगा.

विश्वविद्यालय रिकॉर्ड के प्रमाण का तरीका

43. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में या उस समय लागु किसी अन्य कानून के होने के बावजूद, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय कोई भी रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प की प्रतिलिपि, या विश्वविद्यालय के पास कोई दस्तावेज, या विश्वविद्यालय द्वारा रखे जाने वाले किसी भी रजिस्टर में कोई प्रविष्टि में प्राप्त

किया जाएगा या दस्तावेज़ या रजिस्टर में प्रविष्टि के अस्तित्व को मामले के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा और लेन-देन की मूल प्रति, यदि प्रस्तुत की जाती है, को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा.

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

44. (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने कोई भी कठिनाई होती है, केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश से, जैसा कि इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हो, इस तरह के प्रावधान, कर सकती हैं जो कि ऐसी कठिनाई को दूर करने में तेजी के लिए उसे आवश्यक लगें.

बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति पर इस खंड के अंतर्गत कोई आदेश न दिया जाए.

(2) उप-धारा (1) के तहत लिया गया प्रत्येक आदेश, बनने के बाद जल्द से जल्द, संसद के दोनों सदनों में रखा जाए, जबकि संसद सत्र चल रहा हो, जो कि कुल तीस दिन की अवधि के लिए, एक या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में, और यदि, या पूर्वोक्त सत्र के समाप्त होने पर, आनुक्रमिक सत्रों की समाप्ति से पहले, दोनों सदनों आदेश में किसी संशोधन के लिए सहमत हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि आदेश न बनाया जाए, आदेश केवल उस संशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, जैसा भी मामला हो, इसलिए, हालाँकि, ऐसा कोई भी संशोधन या रद्द करना, पहले से बने आदेश की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा.

विधियों, अध्यादेशों, विनियमों का सरकारी गज़ट में प्रकाशन और संसद में रखा जाना

45. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक संविधि, अध्यादेश या नियमन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा.

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत बना प्रत्येक विधि, अध्यादेश या विनियम बनने के बाद जल्द से जल्द, संसद के दोनों सदनों में रखा जाए, जबकि संसद सत्र चल रहा हो, जो कि कुल तीस दिन की अवधि के लिए, एक या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में, और यदि, या पूर्वोक्त सत्र के समाप्त होने पर, आनुक्रमिक सत्रों की समाप्ति से पहले, दोनों सदनों के आदेश में किसी संशोधन के लिए सहमत हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि आदेश न बनाया जाए, आदेश केवल उस संशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, जैसा भी मामला हो, इसलिए, हालाँकि, ऐसा कोई भी संशोधन या रद्द करना, पहले से बने विधि, अध्यादेश या विनियम की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा.

(3) विधियों, नियमों या नियमों बनाने की शक्ति में विधियों, नियमों या विनियमों या उनमें से किसी को कोई पूर्वव्यापी, जो तारीख इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से पहले नहीं होगी, से प्रभाव देने की शक्ति शामिल होगी, पूर्वव्यापी प्रभाव देने के शक्ति किसी भी व्यक्ति के हितों को प्रभावित करने के लिए, कोई भी कानून, अध्यादेश या नियमन के लिए प्रतिकूल ऐसे संविधि, अध्यादेश या नियमन लागू हो सकता है.

संक्रमणकालीन प्रावधान

46. इस अधिनियम और विधियों में निहित होने के बावजूद –

(क) पहले चांसलर और पहले कुलपति को, विजिटर द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि ठीक समझा जाए, और प्रत्येक उक्त अधिकारी को इस तरह के कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा, पांच वर्ष से अधिक नहीं हो, जो कि विजिटर द्वारा निर्दिष्ट किया जाए.

(ख) पहले कुलसचिव और पहले वित्त अधिकारी को विजिटर द्वारा नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(ग) पहले न्यायलय और पहली कार्यकारिणी परिषद जो क्रमशः अधिकतम इकतीस सदस्यों और ग्यारह सदस्यों से मिलकर बनेगी, को विजिटर द्वारा नामित किया जाएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;

(घ) पहली कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, जो अधिकतम ग्यारह से सदस्यों से मिलकर बनेगी, को विजिटर द्वारा नामित किया जाएगा और वे तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;

(ङ) पहली शैक्षणिक परिषद, जो अधिकतम इक्कीस से सदस्यों से मिलकर बनेगी, को विजिटर द्वारा नामित किया जाएगा और वे तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे.

बशर्ते कि ऊपरोक्त कार्यालयों या प्राधिकरणों में कोई रिक्ति होती है, तो विजिटर द्वारा, नियुक्ति या नामांकन से, ही जैसा भी मामला हो, भरा जाएगा और जिस व्यक्ति को इस तरह नियुक्त या मनोनीत किया गया है, वह उतनी लम्बी अवधि के लिए अधिकारी के रूप में पद धारण करेगा, जब तक कि वह व्यक्ति जिसकी जगह में सदस्य के रूप नियुक्त किया गया है, कार्यालय में रहता, यदि वह रिक्ति न हुई होती.